कांगड़ा बैंक पत्रिका

Kangra Bank Patrika

(A Mouth Piece of the Kangra Cooperative Bank Ltd.)

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110 058
Ph. : 011-25500800, 25515969, Telefax : 011-25525565
E-mail : md@kangrabank.com

वर्ष 5, अंक 7
अक्तूबर, 2018

सम्पादक मण्डल
अध्यक्ष
लक्ष्मी दास
9968279250

सम्पादक
बी. आर. शर्मा
9312223237

प्रकाशक एवं मुद्रक
अतर चन्द परमार
9810742649

सदस्य
स्नेह लता शर्मा
9810509821

सदस्य
जितेन्द्र शर्मा
9971338889

पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने हैं। उनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

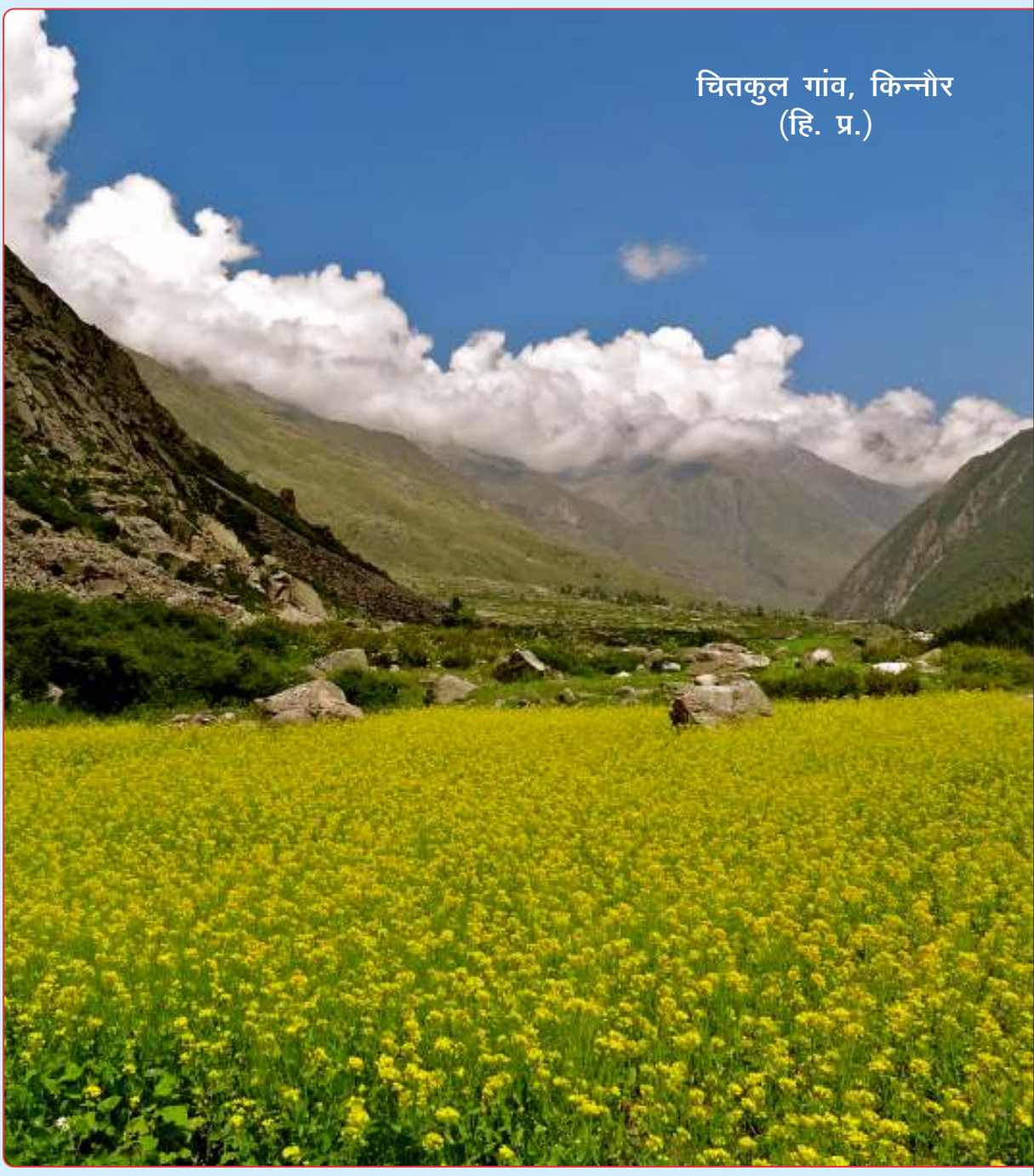

चितकुल गांव, किन्नौर
(हि. प्र.)

आपकी समृद्धि, हमारा संकल्प, आओ मिलकर साथ बढ़ें
दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

सम्पादकीय

- बी. आर. शर्मा

"कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक तब और अब"

कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक जिसका जन्म मार्च 1960 में एक छोटी सी थ्रिफ्ट एण्ड क्रडिट सोसायटी के रूप में हुआ था वह एक दिन दिल्ली का सबसे बड़ा सहकारी बैंक बन जायेगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी परन्तु आज यथार्थ में ऐसा हो गया है। आज कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक दिल्ली का सबसे बड़ा सहकारी बैंक बन गया है जिसे छः बार दिल्ली सरकार ने अच्छा सहकारी बैंक होने का अवार्ड दिया है जिसे नैशनल अरबन को-आपरेटिव बैंक फैडरेशन ने देश के पहिले 100 सहकारी बैंकों मे कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक का नाम आने पर विशेष पुरस्कार दिया है। वर्ष 1960 में बहुत सी Thrift & Credit को-आपरेटिव सोसायटीज दिल्ली में रहने वाले हिमाचल वासियों ने बनाई परन्तु उनमे से अधिकांश समाप्त हो गई। उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसके कई कारण रहे होंगे जिनकी चर्चा करना मेरा विषय नहीं है। परन्तु कांगड़ा मित्रगण को-आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रडिट सोसायटी लिमिटेड जो इस बैंक का आरम्भिक नाम था वह धीरे धीरे विषम परिस्थितियों मे भी आगे बढ़ती रही तथा 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक की नजर इसके ऊपर पड़ी जिसने इसे सहकारी बैंक की मान्यता देने योग्य समझा तथा अन्ततः अक्तूबर 1972 मे इसे सहकारी बैंक की मान्यता दी। एक छोटी सी टी एण्ड सी सोसायटी का इस स्तर तक पहुंचने का एक मात्र कारण यह रहा कि जो लोग इसे चला रहे थे उनके मन में निस्वार्थ भावना थी वे समाज मे रहकर पारस्परिक सहयोग की भावना से इसे चला रहे थे तथा उन्हें सन्तोष मिलता था जब सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता दी जाती थी। वे लोग बड़ी डिग्रियों वाले लोग नही थे परन्तु उनके मन में एक सच्ची लग्न थी कि समाज में उन्होंने अपना योगदान वर्ष 1972 में को आपरेटिव बैंक की मान्यता मिलने के वक्त सोसायटी 1916 चूना मण्डी पहाड़गज नई दिल्ली में अपना काम कर रहीं थी जिसे जून 1970 मे 46000/- रूपये से खरीदा गया था। आज वह दो तीन कमरे का मकान एक चार-पांच मंजिल का भव्य भवन बन गया है जिसका नाम "कांगड़ा" भवन रक्खा गया है तथा जिसकी वर्तमान कीमत करोड़ों में होगी। सहकारी बैंक की मान्यता मिलने के बाद इसे सहकारी बैंक के रूप में स्थापित करना, चलाना और इसका विस्तार करना यह सभी काम करने थे। तब तक बहुत अच्छे कर्मठ लोग इसके साथ जुड़ गये थे जिन्हें इसको बढ़ाने का जनून था। वर्ष 1995 में रिजर्व बैंक ने इसे बैंकिग लाइसैन्स दिया। वर्ष 1996 में एक ही वर्ष में इसकी तीन और नई शाखाएं खुली एक जगतपुरी में, एक गणेशनगर मे (जो अब जनकपुरी मे स्थानान्तरित हो गई है) और एक रोहिणी मे। वर्ष 1998 में पांचवी शाखा गोविन्दपुरी मे खुली और आज बैंक की कुल 12 शाखाएं हो गई हैं जो लगभग 43000 सदस्यों का बैंक बन गया है तथा लगभग 1.40 लाख अकाउन्टस से बैंक बैंकिग सुविधायें दे रहा है। बैंक की कार्यशील पूंजी 1000 करोड़ से अधिक हो गई है। कई वर्षो से बैंक सदस्यों को 18% का लाभांश (Dividend) दे रहा है। हैड आफिस का 3 मंजिला भवन भी बैंक की तीसरी प्रापर्टी बन गई हैं। मैने शुरू में लिखा है कि इसको बढ़ाने वाले तथा इसे दिल्ली का सबसे बड़ा सहकारी बैंक बनाने वाले निस्वार्थ लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग नही थे परन्तु उनमें सीखने की, ईमानदारी से बैंक चलाने की बढ़ाने की धुन थी और आज भी वे बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका समाधान कर रहें हैं

तथा सभी सदस्यों तथा कर्मचारियों के सहयोग से बैंक उन्नति की ओर ले जा रहे हैं तथा इसे शेडयूल्ड बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बैंक वे सभी बड़ी बड़ी सुविधाएं देने मे सक्षम है जो और सरकारी तथा कमर्शियल बैंक दे रहे हैं। हजारों बैंक सदस्य/ग्राहक बैंक के ए टी एम डैबिट कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं। बैंक सभी नियमों का पूर्ण पालन करता है। बैंक के निदेशक मण्डल का चुनाव सदैव समय पर तथा शान्तिपूर्वक ढंग से होता है। जनरल बाडी की बैठक प्रतिवर्ष समय पर होती है। बैंक का वार्षिक आडिट तथा रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाला निरीक्षण समय पर होता है। बैंक सदस्यों के बच्चों को क्षात्रवृति देता है तथा किसी सदस्य का निधन होने पर उसके आश्रित परिवार सदस्यों को आर्थिक सहायता भी देता है। मुझे पूरी आशा है कि यदि बैंक चलाने वाले ईमानदारी सूझबूझ निःस्वार्थ भावना से बैंक को चलायेंगे तो बैंक अवश्य शैडयूल्ड बैंक बनेगा तथा उतरोतर इसका विकास होता रहेगा।

- बी. आर. शर्मा

आवश्यक सूचना

- सदस्यों एवं ग्राहकों की सुविधा हेतू बैंक में इंटरनैट बैंकिंग (व्यू फैसलिटी) सुविधा उपलब्ध हो गयी है। इच्छुक सदस्य एवं ग्राहक अपनी ब्रांच के ब्रांच हैड से जानकारी हासिल करके सुविधा का लाभ उठाएं।
- बैंक में डैबिट (ATM)- कार्ड, SMS अलर्ट सुविधा, मोबाइल फोन द्वारा अपने अकाउंट बैलेंस की जानकारी, ईमेल द्वारा अपने अकाउंट की स्टेटमेंट लेने जैसी कई सुविधाए बैंक में उपलब्ध हैं।
- कृपया अपना ईमेल और मोबाइल फोन नम्बर अपनी शाखा में ब्रांच हैड को जरूर दें ताकि आपको बैंक द्वारा आवश्यक सूचना जल्दी और आसानी से घर बैठे मिल जाये ।
- जिन सदस्यों/ग्राहकों के पास पुराने MAGNETIC STRIPE डेबिट कार्ड हैं उन्हें नए EVM डेबिट कार्ड में 25/12/2018 से पहिले बदला लें क्योंकि पुराने कार्ड जल्द ही बंद होने वालें हैं।

DECISIONS TAKEN AT THE AGBM HELD ON 30.09.2018

The General Body at its meeting held on 30.09.2018 has taken the following two decisions :

1. W.e.f. 01.01.2019 on the demise of a member, a grant of Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand only) will be given to his nominee irrespective of membership length and loan up to Rs. 1,00,000/- (Rupees one lac only) will be exempted from interest. The first priority for the exemption of interest will be given to unsecured (surety) loan.

For creating fund for the above grant, Rs. 150/- maximum will be deducted from the interest of a member given on Special Deposit Member (SDM). Previously this deduction was Rs. 100/-. Now onwards deduction will be made from every member. Previously the deduction used to be made only if a member has earned Rs. 100/- and above interest. If a member does not earn Rs. 150/- interest, the maximum lower amount multiple of 10 to be deducted. Example, if a member earns Rs, 150/- and above then only Rs. 150/- will be deducted but if he earns less than Rs. 150/-, say Rs. 149/-, 125/-, 85/-, 75/-, 58/- then the maximum multiple of 10 i.e., 140, 120, 80, 70, 50 and so on will be deducted.

2. From the year 2017-2018 the scholarship amount to be given to the students of members and staff studying in classes 9th, 10th, 11th and 12th has been increased as given below :

For students studying in 9th and 10th classes	**Rs. 3,500/- per annum**
For students studying in 11th and 12th classes	**Rs. 4,000/- per annum**

Accordingly decision at Sr. No. 1 will be effective from 01.01.2019 and decision at Sr. No. 2 will be effective from 2017-2018 session.

आम सभा (जनरल बाडी) का महत्व

- लक्ष्मीदास

किसी भी सहकारी बैंक का नीति निर्धारण बैंक की आम सभा में होता है। बैंक का हिसाब किताब भी आम सभा में पेश होता है। आडिट रिपोर्ट को पास करना न करना उस पर प्रश्न पूछना, जानकारी प्राप्त करना यह सब आम सभा का अधिकार है। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी आम सभा में पेश की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट और आडिट रिपोर्ट आम सभा द्वारा पास किए जाने के बाद ही उसकी प्रमाणिकता मानी जाती है। कोई भी संशोधन आम सभा में ही किया जा सकता है। बैंक की आम सभा एक खुला दरबार होता है। जहां सदस्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अपने विचार भी रख सकते हैं और बैंक के सुचारू रूप से संचालन के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। कांगड़ा बैंक की आम सभा में तो जब तक बोलने वालों की सूची बकाया रहती है तब तक मीटिंग जारी रहती है। कभी कभी तो शाम के चार पांच भी बज जाते हैं। हम तो चाहते हैं की हमारे माननीय सदस्य सुझाव दें, अपना मत रखें। उनके सुझाव हमारे लिए मार्ग दर्शक का काम करते हैं। सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर बोर्ड में चर्चा होती है। सुझाव यदि रिजर्व बैंक या रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाईटीज के नियमों के अनुकूल पाए जाते हैं तो उन्हें स्वीकार भी करते हैं और उन पर निदेशक मण्डल अमल भी करता है।

आम सभा इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद माननीय सदस्यगण इसमें भाग लेने का उत्साह नहीं दिखाते। कांगड़ा बैंक की, इस बार की आम सभा में एक हजार से अधिक सदस्य नहीं थे। मीटिंग में कई बार सदस्यों की शिकायत होती है कि आम सभा की सूचना नहीं मिलती। नियमानुसार कांगड़ा बैंक के प्रशासन को आम सभा की सूचना पोस्ट या कोरियर द्वारा देनी आवश्यक होती है हमने पोस्ट से भी सूचना भेजने की व्यवस्था की थी और किसी किसी वर्ष कोरियर से सूचना भेजते हैं इस बार की सूचना कोरियर से भेजी गई है। कोई कोई हमारी आलोचना करता है कि, हम अपनों को सूचना दे देते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। ऐसा संभव नही हो सकता। कांगड़ा बैंक की वैबसाईट है जिसपर सूचना डाली जाती है। बैंक की ब्रांचों में भी नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी जाती है। सदस्य आपस में भी सूचना सांझा करते हैं तो यह कैसे संभव है कि हम अपनी वैबसाईट केवल "अपनों" के लिए ही खोलेंगे या ब्रांच में लगी सूचना केवल "अपने" ही पढ़ सकेंगे। कांगड़ा बैंक का प्रशासन कोरियर को भी चिट्ठी पहुंचाने की सख्त हिदायत देता है। फिर भी कई चिट्ठियां वापिस आ जाती हैं क्योंकि उनके पोस्टल पते ठीक नहीं होते। कई बार माननीय सदस्य ने घर बदल लिया होता है लेकिन बैक में सूचना नहीं दी होती

जिस कारण पोस्ट या कोरियर से चिट्ठी मिल नही पाती हम चिट्ठी भेजते है परन्तु वह वापिस आ जाती है। सदस्य को लगता है कि पत्र मिला नहीं। अन्यथा भी हमारा कोरियर कोई गुप्त व्यवस्था नहीं होती उनसें जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि किसी सदस्य की चिट्ठी उन महानुभाव को क्यों नही मिली। इस बार एक जानकारी यह भी मिली कि किसी सदस्य ने कहा कि आपकी किताब तो मिली है लेकिन चिट्ठी नहीं मिली है। माननीय सदस्यों को यह जानना जरूरी है कि उसी किताब में निमत्रंण भी होता है, हिसाब भी होता है और यदि कोई प्रस्ताव है तो वह भी उसी पुस्तिका में लिखा होता है। माननीय सदस्यों को वह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें बैंक सम्बन्धी बहुत जानकारी होती है। नियमानुसार यह भी तय है कि बैंक की आम सभा सितम्बर या अक्तूबर में ही होगी। विशेष आम सभा को छोडकर। इसलिए सदस्य अपना प्रोग्राम भी उसी आधार पर बना सकते है।

निमन्त्रण पत्र में यह भी सूचना दी गई होती है कि आम

सभा की मीटिंग कितने बजे शुरू होगी उसके बाद कोरम पूरा न हो तो आधा घंटा सदस्यों की प्रतिक्षा की जाती है फिर एक निर्धारित समय के लिए यदि कोरम पूरा न हो तो आम सभा की मीटिंग स्थगित कर दी जाती है। निर्धारित समय के बाद मीटिंग फिर शुरू होती है। यदि तब भी कोरम पूरा न हो तो को-आपरेटिव एक्ट के अनुसार बिना कोरम मीटिंग शुरू हो जाती है। यदि एक्ट में ऐसा प्रावधान न हो तो आम सभा की मीटिंग कभी हो ही नही सकती क्योंकि उसका कोरम तो पूरा होता ही नही है।

कांगड़ा बैंक की प्रभावी सदस्य सख्या लगभग 42 हजार हैं। अब इन 42 हजार सदस्यों में से मात्र कुछ सौ सदस्य आम सभा में आएं यह उचित नही है। हम वर्ष में एक बार एक दिन का समय सदस्य से मांगते हैं। वह भी रविवार का दिन। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि मीटिंग रविवार को हो। चुनाव वाले वर्ष में आम सभा की दो मीटिंगें होती है।

को-आपरेटिव आंदोलन दुनिया में सौ वर्ष से भी पुराना आंदोलन है। इस व्यवस्था का बहुत महत्व है। इसके सफल प्रयोग हुए हैं और हो रहे हैं। हम केवल सहकारी बैंक ही नही चलाते, बल्कि सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने का काम भी करते हैं। ऐसे बड़े प्रयास का सहकारी बैंक के सदस्य हिस्सा हैं। इसलिए इस आंदोलन में सब को शामिल होना चाहिए। बैंक की आम सभा में तो सभी सदस्यों को भाग लेना ही चाहिए। अन्यथा भी समय समय पर अपने सुझाव देते रहना चाहिए।

कांगड़ा बैंक आप सबके सहयोग से, हमेशा प्रगति पथ पर अग्रसर है। यह प्रगति न केवल बनी रहे बल्कि अधिक तेज हो, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए।

- लक्ष्मीदास

समय

समय चला, पर कैसे चला'
पता ही नहीं चला।

जिन्दगी की आपाधापी में,
कब निकली उम्र हमारी,
पता ही नहीं चला।

कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे,
कब कंधे तक आ गए,
पता ही नहीं चला।

किराये के घर से शुरू हुआ था सफर अपना,
कब अपने घर तक आ गए,
पता ही नहीं चला।

साइकिल के पैडल मारते हुए हांफते थे उस वक्त,
कब से हम कारों में घूमने लगे हैं,
पता ही नहीं चला।

कभी थे जिम्मेदारी हम माँ बाप की,
कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार हम,
पता ही नहीं चला।

एक दौर था जब दिन में भी
बेखबर सो जाते थे,
कब रातों की उड़ गई नींद,
पता ही नहीं चला।

जिन काले घने बालों पर
इतराते थे कभी हम,
कब सफेद होना शुरू कर दिया,
पता ही नहीं चला।

दर दर भटके थे नौकरी की खातिर,
कब रिटायर होने का समय आ गया,
'पता ही नहीं चला।

बच्चों के लिए कमाने बचाने में
इतने मशगूल हुए हम,
कब बच्चे हमसे हुए दूर,
पता ही नहीं चला।

भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम ,
अपने भाई बहनों पर गुमान था ,
उन सब का साथ छूट गया ,
कब परिवार हम दो पर सिमट गया ,
'पता ही नहीं चला।

अब सोच रहे थे कुछ अपने
लिए भी कुछ करे,
पर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया,
पता ही नहीं चला।

साभार :- फेसबुक

HOMAGE

(13/03/1951 – 19/09/2018)

We are extremely sorry to inform the sad demise of our Vice-Chairman Shri Shakti Chand Sharma(Advocate) on 19/09/2018 . Shri Shakti Chand Sharma was elected as a Vice-Chairman of the Bank for a term of three years in the election held on 29/10/2017. Earlier too he had been Vice Chairman for three years, Director for six years and Assistant Cashier for three years. He had been associated with the bank as its member from the initial years of its formation as a thrift and credit society.

Shri Shakti Chand Sharma was born on 13th March 1951 in village Kotahan, Post office and Tehshil Jaisinghpur, Distt Kangra (H.P.). He completed his school education in his native place and came to Delhi in 1967 for higher education and stayed with his elder brother. He did his LL.B and M.A. from Delhi University and JNU respectively.

He had been helping Bank in all legal matters and providing his valuable legal advice as and when required. Shri Shakti Chand Sharma is survived by his wife and three married daughters.

In his passing away we have lost a great well wisher and senior member of the bank. We pray to Almighty to grant peace to the departed soul and give strength to the family members to bear this irreparable loss.

Board of Directors and Staff
The Kangra Co-operative Bank Limited

50 वीं वार्षिक आम साधारण सभा का आयोजन 30.09.2018 को किया गया। सभा में उपस्थित सदस्यों का स्वागत तथा मेधावी छात्रों को छात्रवृति राशी का वितरण करते हुए बैंक निदेशक मण्डल के माननीय सदस्य।

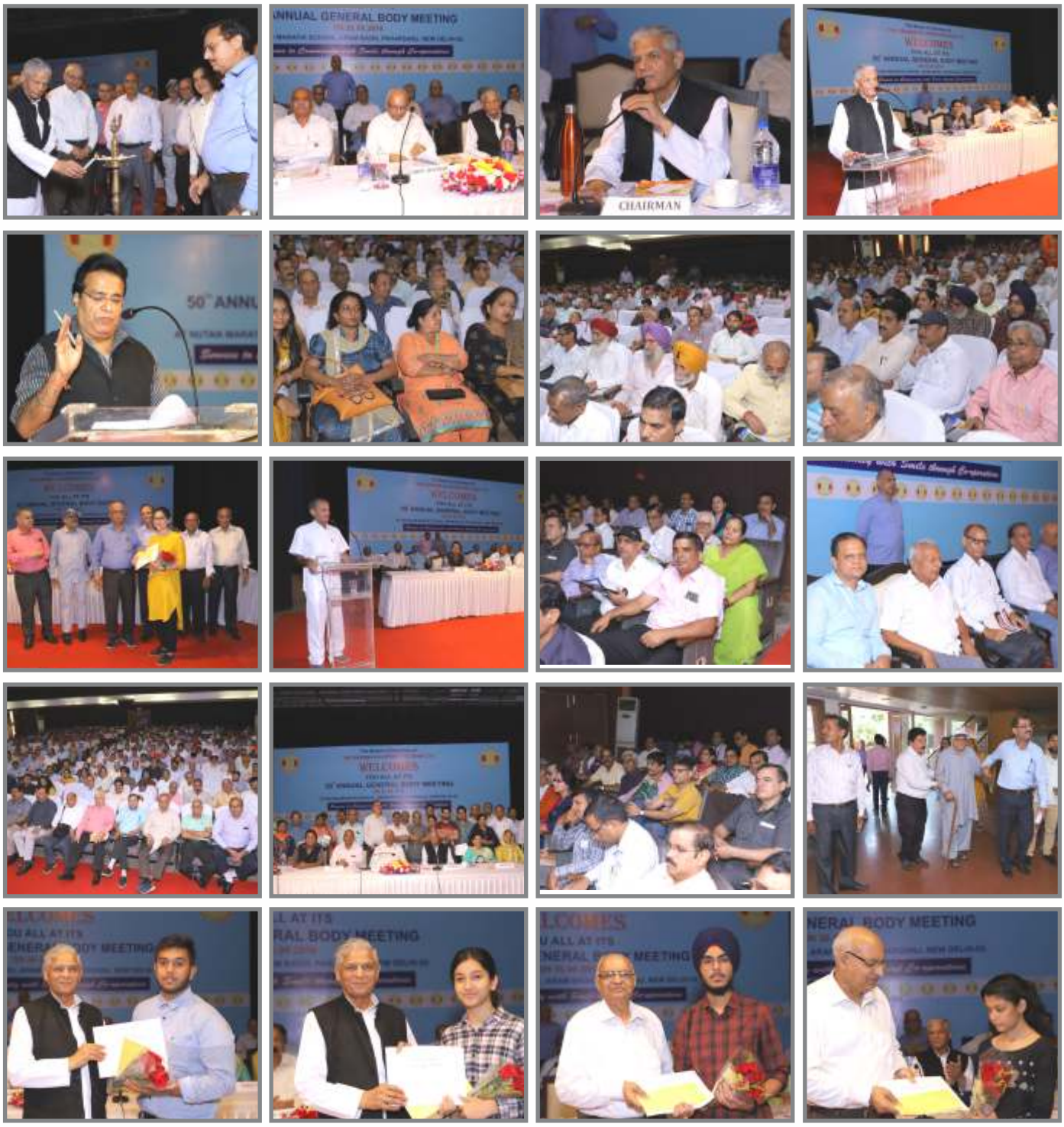

******

Date of Publication i.e. 13th-14th October, 2018 Reg. No. DELBIL/2013/50868

मेधावी छात्रों को छात्रवृति राशी का वितरण करते हुए निदेशक मण्डल के माननीय सदस्य।

Printed and Published by A C Parmar on behalf of The Kangra Co-operative Bank Limited and printed at Royal Impression, 94, State Bank Nagar, Paschim Vihar, New Delhi-110063 and published at B-702, Mahalaxmi Apartments, Plot # 4, Sector-2, Dwarka , New Delhi-110075. Editor: B R Sharma